(26) (53)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 925–एक/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–1–2013 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर म0प्र0 के प्रकरण कमांक 178/अ–6/2005–06.

.....

1–रामदुलारीबाई बेवा रामलाल पटेल
2–केशव प्रसाद आत्मज रामलाल
3–हरीशंकर उर्फ हरीशरण आत्मज रामलाल
4–शिवकुमार आत्मज रामलाल पटेल
5–रामकुमार आत्मज रामलाल पटेल
सभी निवासी मौजा परछिया तहसील शहपुरा
(भिटौनी) जिला जबलपुर म0प्र0
6–प्रयागबाई पति परषोत्तम पटेल
निवासी नगना तहसील पनागर
7–प्रभाबाई पति महेश प्रसाद
निवासी चपोध तहसील पाटन

.....आवेदकगण

विरूद्ध

लीलाबाई आत्मज रामलाल पटेल द्वारा
विधिक वारिसान
1–रामजी पटेल आत्मज गनेश प्रसाद पटेल
निवासी ग्राम विनैकी तहसील पाटन जिला जबलपुर
2–विनोद पटेल आत्मज रामजी पटेल
निवासी ग्राम विनैकी तहसील पाटन जिला जबलपुर
3–श्रीमती रेखाबाई पत्नि गोटीराम पटेल
निवासी ग्राम रोसरा मुड़िया तहसील पाटन जिला जबलपुर
4–श्रीमती ज्योतिबाई पत्नि राजेश पटेल
निवासी ग्राम सरसवॉ तहसील जिला जबलपुर
5–सदन आत्मज रामलाल पटेल
6–मदन उर्फ मदनलाल आत्मज रामलाल पटेल
दोनों निवासी परछिया तहसील शहपुरा जिला जबलुपर म0प्र0

..... अनावेदकगण

....

श्री यज्ञदत्त तिवारी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0एल0पटेल, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/4/14 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–1–2013 से परिवेदित होकर म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 जिसे संक्षेप में आगे केवल "संहिता" कहा जावेगा) की धारा 50 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका लीलाबाई द्वारा न्यायालय तहसील भिटौनी के समक्ष आवेदन पेश कर मौजा सहजपुर स्थित खसरा नम्बर 2 रकबा 0.850 हेक्टेयर तथा मौजा परछिया स्थित खसरा नम्बर 44/3, 46, 61, 67/1 कुल रकवा 3.550 हेक्टेयर भूमि जो उसके पति के नाम दर्ज थी, पति की मृत्यु दिनांक 12–08–2003 को होने पर वारिसान के नाम सिजरा अनुसार दर्ज करने की मॉग की गई । तहसीलदार ने प्रकरण में रामलाल द्वारा उसकी प्रथम पत्नि रामदुलारी के पक्ष में प्रस्तुत वसीयत अस्वीकार कर रामलाल की प्रथम पत्नि रामदुलारी बाई उसके वारिसान केशव प्रसाद, हरीश, शिवकुमार, रामकुमार, प्रयागबाई एवं प्रभाबाई तथा दूसरी पत्नि के वारिस लीलाबाई, सदन एवं मदन का नाम विवादित भूमि पर दर्ज करने के न्यायालय तहसीलदार द्वारा दिनांक 30–4–2005 को आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक 30–4–05 से व्यथित होकर अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 38/अ-6/04–05 पर दर्ज की गई व अनुविभागीय अधिकारी पाटन के विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 29–8–05 द्वारा तहसीलदार का आदेश दिनांक 30–04–05 निरस्त करते हुये स्वर्गीत रामलाल द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 7–4–03 संदेहास्पद न मानते हुये प्रश्नाधीन भूमि

रामदुलारी/उत्तरावादी कमांक 1 के नाम दर्ज करने का आदेश दिया । अनुविभागीय अधिकारी पाटन द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–8–05 से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के यहॉ अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 178/अ–6/2005–06 पर दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 17–1–13 अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–8–05 निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–1–13 से दुखित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क में बताया कि आवेदकगण एवं अनावेदकगण के पिता स्व0रामलाल पटेल द्वारा अपनी समस्त चल व अचल पैत्रिक सम्पत्तियों का बंटवारा अपने विधिक वारिसानों के मध्य कर दिया था तथा जिसका उल्लेख वादग्रस्त सम्पत्ति वसीयतनामा दिनांक 7–4–03 में है । संहिता की धारा 164 के अनुसार वादग्रस्त जमीन के घर मालिक काबिज होने से उक्त सम्पत्ति अपनी पत्नि रामदुलारी बाई के नाम वसीयत करने का कानूनन अधिकार प्राप्त था । लिखित तर्क में यह भी बताया कि साक्षी जगतसिंह वल्द सुनेक ने भी विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपनी साक्ष्य प्रस्तुत कर बताया कि वसीयतनामा आज से लगभग दो वर्ष पूर्व रामदुलारी बाई के पक्ष में लिखा गया और वसीयत पत्र लक्ष्मण प्रसाद पटेल ने लिखा जिस पर साक्षी के हस्ताक्षर है व वसीयत पत्र पर हक्कू रामलाल व लक्ष्मण ने हस्ताक्षर किये थे । उक्त साक्ष्य से स्वयं सिद्ध होता है कि वसीयतनामा पर वसीयतकर्ता द्वारा गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किये व वसीयतकर्ता के समक्ष गवाहों ने हस्ताक्षर किये । उक्त साक्षियों की साक्ष्य से वसीयतनामा दिनांक 7–4–03 स्वयं सिद्ध हो जाती है जिसके संबंध में आवेदकगण द्वारा उक्त न्यायदृष्टांत आई0एल0आर0 2013 एम0पी0(858) राम नारायण तिवारी विरूद्ध उमाशंकर एवं आई.एल.2013 एम.पी.(1406) सीताराम दुबे विरूद्ध मानकलाल में यह अभिनिर्धारित किया है कि हिन्दू सक्सेशन एक्ट की

धारा 63 के अनुसार वसीयत के सबूत हेतु वसीयत के प्रस्तुतकर्ता के लिये यह साबित करना आवश्यक है कि वसीयतकर्ता ने उस पर हस्ताक्षर किये है । उक्त प्रकरण में आवेदकगणों की साक्ष्य से स्वयं सिद्ध हो जाती है । लिखित तर्क में यह भी लेख किया कि अपर आयुक्त न्यायालय में प्रकरण चलने के दौरान आवेदक कमांक 1 रामदुलारी बाई की मृत्यु हो गई जिसके विधिक वारिसान रिकार्ड पर मौजूद है और उक्त वसीयतनामा के अनुसार रामदुलारी बाई की मृत्यु पश्चात् विधिक वारिसान होने से उक्त सम्पत्ति पर मालिक काबिज है । उक्त प्रकरण में साक्षियों की साक्ष्य से वसीयतनामा दिनांक 7–4–03 अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा सिद्ध पाया है जो कि संदेह की स्थिति में नहीं है । अनावेदकगण को तथाकथित वसीयत दिनांक 7–4–03 संदेहास्पद मालूम पड़ती है तो उन्हें विचारण न्यायालय के समक्ष रामलाल पटेल के तथाकथित हस्ताक्षर को हेडराईटिंग एक्सपर्ट से जॉच करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करना था परन्तु ऐसा कोई आवेदन उनके द्वारा प्रस्तुत न करके उक्त वसीयत को संदेहास्पद नहीं कहा जा सकता । द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने त्रुटिपूर्ण आदेश दिनांक 17–1–13 में वसीयतनामा को अपंजीकृत माना जबकि हिन्दू सम्मेलन एक्ट 1925 के अंतर्गत ऐसा कही नहीं माना कि वसीयत पत्र पंजीकृत होना वाहिये तथा बिना पंजीकृत वसीयत भी साक्षियों से सिद्ध होनी चाहिये जैसा कि आवेदकगणों ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी साक्ष्य प्रस्तुत कर उक्त वसीयत दिनांक 7–4–03 सिद्ध की है । वसीयतनामा सादे कागज पर भी लिखा जा सकता है परन्तु उसमें लिखने वाले हस्ताक्षर एवं साक्षियों के हस्ताक्षर होना चाहिये । प्रथम अपीलीय न्यायालय पाटन द्वारा अपने आदेश दिनांक 29–8–05 की कंडिका 1 में यह माना कि उक्त वसीयतनामा लक्ष्मण पटेल द्वारा रामलाल पटेल को बोलने पर लिखा गया एवं वसीयत को साक्ष्य के दौरान अभिप्रमाणित किया गया तथा प्रकरण में अन्य साक्षियों द्वारा भी वसीयतनामा सही बताया गया और वसीयत कानून के अनुसार दो साक्षियों से अनुप्रमाणित होना चाहिये । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि

अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा वसीयतनामा दिनांक 7–4–03 के बावत् प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से निकाला गया निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है इसलिये अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश 17–1–13 निरस्त करते हुये अनुविभागीय अधिकारी पाटन द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–8–05 यथावत् रखकर उक्त वसीयतनामा दिनांक 7–4–2003 के आधार पर सम्पत्ति पर आवेदकगणों के नाम दर्ज किये जाने हेतु निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है ।

4/ प्रकरण में अनावेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क में बताया कि यही कहा गया कि अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिवत् होने से स्थिर रखा जाकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया एवं अभिलेखों का व अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का अवलोकन किया । विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके समक्ष रामलाल के मृत्यु के उपरांत दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष में वारिसान आधार पर नामान्तरण के आवेदन दिये । दोनों पक्षों के प्रथम आवेदनों में वसीयत का कोई आधार नहीं लिया गया । स्पष्टतः वसीयत after thought के तौर पर प्रस्तुत की गई । वैसे भी जैसा कि अपर आयुक्त ने विश्लेषण किया है वसीयत सन्देह से परे प्रमाणित नहीं हुई है । वसीयत के साक्षी जगतसिंह ने वसीयत के संबंध में विरोधाभाषी ब्यान दिया है ।

6/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा उठाये गये समस्त तर्क आधारहीन हो जाते हैं । फलतः यह निगरानी बलहीन होने से निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर